संघवी मातुश्री पूरीबाई भूरमलजी जैन

राजकीय महाविद्यालय

शिवगंज – 307 027

श्रेष्ठता की ओर निरन्तर अग्रसर

विवरणिका

2020–21

(विवरणिका में सम्मिलित सूचनाएं राजस्थान सरकार/निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर/मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर/प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज के आदेशाधीन परिवर्तनीय, परिवर्द्धनीय एवं संशोधनीय है।)

(Students are directed to visit College Education, Rajasthan website : http://hte.rajasthan.gov.in and college notice board regularly for all type of updates. Personal communication will not be sent to anyone) Published by Principal, Government College, SHEOGANJ

E-mail : govt.collegesheoganj@gmail.com
website: http://hte.rajasthan.gov.in
Phone 02976–272559

प्राचार्य सन्देश

प्रिय प्रवेशार्थियों,

राजस्थान के सिरोही जिले के शिवगंज महाविद्यालय के नवीन शैक्षणिक सत्र में मैं आप समस्त प्रवेशार्थियों का ह्रदय से स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूॅं।

शिवगंज महाविद्यालय न केवल बहुसंकायी उच्च शिक्षण संस्थान है अपितु यहॉ सहशैक्षणिक तथा शिक्षणेत्तर गतिविधियों हेतु संसाधन विपुल मात्रा में विद्यमान हैं। आप इनका उपयोग कर न केवल अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर पायेंगे अपितु अपने व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास को भी संभव बनाकर भविष्य में नयी—नयी उपलब्धियॉ अर्जित कर सकेंगे।

वैश्वीकरण—उदारीकरण एवं निजीकरण के परिदृश्य में राजस्थान सरकार एवं निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने इस वर्ष से विद्यार्थियों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए युवा कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की है। आपको इसके अधीन आने वाली किसी एक गतिविधि का आवश्यक रूप से सदस्य बनकर सक्रिय रूप से भागीदारी करनी है। इन सुविधाओं का लाभ उठाकर आप आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में अपने आपको सशक्त बनाकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

समाजिक—आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की छात्रवृत्तियॉ, बुक बैक, रेमेडियल कोचिंग, विशेष पिछडा वर्ग के लिए देवनारायण योजना, अल्पसंख्यक एवं विशिष्ट योग्यजन छात्रवृत्तियों इत्यादि की व्यवस्था की है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर आप धनाभाव को उत्तरोत्तर शिक्षा ग्रहण करने में बाधक नहीं बनने दें।

राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज केवल उच्च शिक्षण संस्थान ही नहीं है, अपितु हमारे योग्य शिक्षकों द्वारा आपको अनुशासन तथा मानवीय मूल्यों से आत्मसात भी करवाया जाता है। मुझे आशा है, महाविद्यालय में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सम्पन्न करने के पश्चात् आप एक परिपक्व एवं आत्मनिर्भर व्यस्क बनकर अपना भविष्य बनाने के लिए तत्पर होंगे।

विगत कुछ वर्षों से शिक्षा जगत में रैगिंग एवं महिला उत्पीड़न जैसी बुराइयॉ प्रवेश कर चुकी हैं। आपसे आग्रह है कि इन बुराइयों से दूर रहकर अनुशासित विद्यार्थी बनें। यदि आप उक्त कृत्य में संलिप्त पाए गए तो सर्वोच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशानुसार इस अपराध क लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक दण्ड के भागी होंगे।

राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज का अंग बनकर आप अपना सर्वांगीण विकास करें, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। शुभकामनाओं के साथ...

प्राचार्य

अत्यावश्यक सूचना

प्रवेश संबंधी

1. प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वैबसाइट **http://hte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है।
2. समस्त प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश कार्यक्रम, प्रवेश सूची प्रकाशन व अन्य जानकारी हेतु नियमित रूप से कॉलेज शिक्षा, राजस्थान की वैबसाइट का अवलोकन करें और नियमित रूप महाविद्यालय का सूचना पट्ट देखें।
3. प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना व्यक्तिशः नहीं दी जाएगी।

छात्रवृत्ति संबंधी

राजस्थान सरकार , आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी समय–समय पर संबंधित वैबसाइट का अवलोकन करें। छात्रवृत्ति आवेदन का कार्य अत्यावश्यक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अतः निर्धारित तिथि एवं प्रक्रिया के अनुरूप संबंधित पॉर्टल पर आवेदन करें।

विद्यार्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है आवेदन के उपरान्त यदि विभाग आक्षेप लगा देता है तो विद्यार्थी अपने **ID** एवं पासवर्ड के आधार पर अपना आवेदन पत्र खोल कर निराकरण करें अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो सकता है और विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हो सकता है।

महाविद्यालय परिचय

राजकीय महाविद्यालय, शिवगंज सिरोही जिले का एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी उच्च शिक्षण संस्थान है। राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आधिकारिक अभिलेखों में आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से पिछडे इस क्षेत्र में साक्षरता, विशेषतः उच्च शिक्षा न्यूनतम स्तर पर थी। इस क्षेत्र के विद्यार्थी लगभग 40 किमी. दूर स्थित सिरोही महाविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। इसका कुप्रभाव छात्राओं पर अधिक हो रहा था तथा अधिकांश छात्राएं स्कूल के बाद पढाई छोड देती थीं।

क्षेत्र के राजनीतिज्ञों तथा जनसेवकों के अथक प्रयासों से राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ4.14(1) शिक्षा–4/97 दिनांक 03.07.1999 द्वारा यह महाविद्यालय में प्रारंभ हुआ जो यहॉ के निवासियों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर क्षेत्र एवं विद्यार्थियों के हितार्थ महाविद्यालय भवन संघवी भूरमल तेजाजी एज्यूकेशनल ट्रस्ट, चैन्नई द्वारा बनवाकर सरकार को सौंपा गया। राज्य सरकार ने भामाशाह ट्रस्ट के योगदान के कारण महाविद्यालय का नाम **संघवी मातुश्री पूरीबाई भूरमलजी जैन राजकीय महाविद्यालय** रखने की अनुमति प्रदान की । प्रारंभ में यह महाविद्यालय कला एवं वाणिज्य संकाय के साथ प्रारंभ हुआ जिसमें छात्र संख्या मात्र 200 थी। समर्पित शिक्षकों के सराहनीय योगदान के कारण समाज में महाविद्यालय ने उपयोगिता एवं लोकप्रियता प्राप्त की। राज्य सरकार पर क्षेत्रवासियों का विज्ञान संकाय प्रारंभ करने का दबाव बढने लगाा जिसका मूर्त रूप सत्र 2001–02 में महाविद्यालय में विज्ञान संकाय (गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग) की स्वीकृति के रूप में सामने आया। अब यह महाविद्यालय बहुसंकायी बनकर समाज में उंच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें कला संकाय में 4, वाणिज्य में 3 तथा विज्ञान में 5 विषयों में अध्ययन कराया जाता है। प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर इस महाविद्यालय में वर्तमान में तीनों संकायों में लगभग 2100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि शैक्षणिक सत्र 2018–19 से इस महाविद्यालय को स्नातकोत्तर स्तर का दर्जा मिल चुका है। विज्ञान संकाय में रसायन शास्त्र में एम. एस.सी., वाणिज्य संकाय में ए.बी.एस.टी. विषय में एम. कॉम. तथा कला संकाय में हिन्दी एवं इतिहास विषयों में एम. ए. की नियमित कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

यह महाविद्यालय **मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर** से सम्बद्ध है। इसे **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)** की **2(f)** एवं **12(B)** की सम्बद्धता भी प्राप्त है।

महाविद्यालय को विकास की अनेकानेक ऊंचाइयों को छूना है, तथापि महाविद्यालय के कुछ छात्र महाविद्यालय एवं स्कूल व्याख्याता, चार्टर्ड एकाउंटेंट, वकील व बैंककर्मी बनकर इसका नाम गौरवान्वित कर रहे हैं तो अनेक पूर्व विद्यार्थी व्यवसाय एवं पेशेवर क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा की गहन छाप छोडकर महाविद्यालय का नाम उज्जवल कर रहे हैं।

महाविद्यालय विशिष्टताएं

- **शिवगंज शहर के हृदयस्थल में लगभग 32 बीघा भू–भाग में विस्तीर्ण**
- **बहुसंकायी महाविद्यालय के रूप में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में कुल मिलाकर लगभग 2400 विद्यार्थियों को गुणवत्ता प्रधान शिक्षा प्रदान करने के लिए सतत् प्रयासशील**
- **विद्यार्थियों में 40 प्रतिशत से अधिक छात्राएं। परीक्षा परिणाम संख्या एवं गुणवत्ता दोनों के दृष्टिकोण से उच्च**
- **विद्यार्थियों में आत्मानुशासन, समाजसेवा, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा इत्यादि गुणों के विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS), रोवर एवं रेंजर, युवा विकास केन्द्र, छात्र परामर्श केन्द्र, कैरियर काउन्सलिंग सैल, संकाय परिषदें**
- **रेगिंग/उत्पीडन जैसी गतिविधियों से दूर अनुशासन की मिसाल छोडता महाविद्यालय**

रैगिंग : आपराधिक कृत्य

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानूसार रैगिग (उत्पीड़न) गम्भीर अपराध है। इस उत्पीड़न मे संलिप्त होने वाले वाले विद्यार्थियो के लिये सर्वाच्च न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने बहुत सख्त शैक्षणिक एव आर्थिक दण्डों की व्यवस्था की है । सम्बन्धित विद्यार्थी को महाविद्यालय से तुरन्त निष्कासित कर दिया जाएगा । रैगिंग ((उत्पीडन) सम्बन्धित शिकायत हेतु विद्यार्थियो को इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से प्राचार्य, रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ के सदस्यों को देने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त रैगिंग से संबंधित शिकायत पुलिस या जिला प्रशासन को भी की जा सकती है। सभी सक्षम अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर महिला उत्पीड़न संबंधी विवरण के पश्चात् दिए जा रहे हैं।

महाविद्यालय में रैगिंग की रोकथाम हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन किया गया हें –

1. डॉ. परिहार उर्मिला मूलचन्द (संयोजक) – 98291 21249
2. डॉ. भूपेश डी. वर्मा (सदस्य) – 98290 14178
3. श्री पीयूष अग्रवाल (सदस्य) – 93516 31120
4. श्रीमती दीपिका वैष्णव (सदस्य) – 82098 54558

इसके अतिरिक्त रैगिंग जैसी कोई भी स्थिति नजर आने पर विद्यार्थी/पीडित पक्षकार दूरभाष नम्बर 02976–272559 पर भी कॉल कर सकते हैं।

महिला उत्पीड़न

महिला उत्पीडन एक अभिशाप है। इससे न केवल महिलाओं को असामान्य स्थिति का सामना करना पडता है, वरन् समूची मानवता शर्मिंदगी महसूस करती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार निम्न बातें महिला उत्पीडन में सम्मिलित हैं :

- महिला / युवती / बालिका को छूना या छूने की कोशिष करना, लगातार घूरना, पीछा करना
- फूहड मजाक करना, बोलकर या बिना बोले, भद्दे इशारे करना या अंग प्रदर्शन करना
- मेज या दीवार पर अश्लील बातें लिखना
- व्यक्तिगत जीवन के बारे में अफवाहें फैलाना
- लालच या डर दिखाकर यौन सम्बन्ध बनाने के लिए मजबूर करना
- कार्य समय के बाद या अपने घर बुलाकर अभद्र व्यवहार, यौन सम्पर्क का दबाव या अनुरोध
- फोन पर अश्लील बातें करना या एस.एम.एस. (SMS) / एम.एम.एस. (MMS) करना
- अश्लील चर्चा करना, कामुक (अश्लील चित्र), फोटो, पोस्टर दिखाना
- शारीरिक सम्पर्क या उसकी कोशिष
- अन्य कोई अश्लील आचरण या अभद्र व्यवहार, जिस पर महिलाओं को आपत्ति हो।

महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन किया गया है –

1. डॉ. परिहार उर्मिला, सह आचार्य, इतिहास (संयोजक) – 98291 21249
2. श्रीमती रेखा बिश्नोई, सहायक आचार्य, भूगोल (सदस्य) – 77424 44443
3. श्रीमती एकता देवी, सहायक आचार्य, हिन्दी (सदस्य) – 93512 09272
4. सुश्री दीक्षा मीणा, सहायक आचार्य, भौतिक शास्त्र (सदस्य) – 87694 48234
5. श्रीमती विष्णुकान्ता दवे, वरिष्ठ लिपिक (सदस्य) – 99284 33270
6. श्रीमती चंपा देवी, उपाध्यक्ष, नगरपालिका शिवगंज (मनोनीत सदस्य) –

75% उपस्थिति अनिवार्यता नियम

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र के लिए प्रत्येक विषय के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषय में राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

2. वे छात्र, जिन्हें महाविद्यालय की ओर से एन. सी. सी., रोवर / रेंजर, एन. एस. एस. शिविरों में अथवा खेलकूद, साहित्यिक या सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / राज्य का प्रतिनिधित्व करने भेजा जाता है, उन्हें उन दिनों की कक्षा में अन्य छात्रों की भॉति ही उपस्थिति मिलेगी, जितने उन दिन उस अवधि में कक्षाएं वास्तव में हुई हों।

3. उपस्थिति की गणना सत्र के प्रारंभ से हुई कक्षाओं के आधार पर ही होगी, न कि उस दिन से जिस दिन से छात्र ने कक्षा में प्रवेश लिया हो। इसलिए विलम्ब से प्रवेश लेने वाले छात्र अपनी जिम्मेदारी पर ही ऐसा करें। जिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा विलम्ब से घोषित किया जाता है और तत्पश्चात् विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त करता है, तो उपस्थिति प्रवेश तिथि से गिनी जाएगी।

4. प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय–समय पर किए गए रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।

5. जो परीक्षार्थी उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है, उसे परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा।

संसाधन एवं गतिविधियॉ

1. पुस्तकालय

महाविद्यालय के स्नातक होने के कारण यहॉ उच्च स्तरीय संदर्भ ग्रंथ एवं शोध पत्रिकाओं का अभाव है। फिर भी यहॉ लगभग 8000 पुस्तकें हैं, जिनमें से कुछ सामान्य ज्ञान, कुछ संदर्भ ग्रंथ तो कई पाठ्यक्रम की पुस्तकें संग्रहित हैं जो आपकी ज्ञान पिपासा को शान्त करने के लिए पर्याप्त हैं। पुस्तकालय का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक रहता है जिसमें आप पुस्तकालय में रहकर इसकी सुविधाओं का सदुपयोग कर सकते हैं।

अधिकांश पाठ्यपुस्तकों को Readers' Ticket के आधार पर महाविद्यालय से निर्धारित अवधि तक के लिए उधार ले सकते हैं। समयावधि के पश्चात् आपको यह पुस्तक जमा करानी होगी।

दैनिक सूचनाओं से आप प्रतिदिन अवगत होते रहें, इसके लिए पुस्तकालय में ही वाचनालय की स्थापना की गई है। यहॉ पर समस्त हिन्दी समाचार पत्र, रोजगार संदेश, Employment News, समाचार पत्रिकाएं, अकादमिक जर्नल्स आदि उपलब्ध हैं।

2. युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ

राज्य सरकार की उच्च शिक्षा नीति द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर युवा कौशल परामर्श प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ प्रथम वर्ष के नवप्रवेशित विद्यार्थियों को काउन्सलिंग द्वारा महाविद्यालय में संचालित विभिन्न गतिविधियों में से प्राथमिकता के आधार पर निम्न में से एक का अनिवार्यतः चयन सुनिश्चित करता हें –

1. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS)
2. रोवर/रेंजर
3. युवा विकास केन्द्र (YDC)
4. महिला प्रकोष्ठ (केवल छात्राओं के लिए)/मानवाधिकार क्लब/रेड रिबन क्लब

इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थी प्रथम वर्ष से ही अपने शैक्षिक, भौतिक, सांस्कृतिक तथा कैरियर/रोजगार संबंधी ज्ञान अर्जित कर अपना सर्वांगीण विकास कर सकेगा। इनका विवरण निम्न प्रकार है :

राष्ट्रीय सेवा योजना

भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय ने सन् 1969 में नीतिगत निर्णय के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की स्थापना की गई। इसका नीति वाक्य ''NOT ME BUT YOU" अर्थात् ''मैं नहीं, आप'' है, जिसमें स्वयंसेवक प्रतिज्ञा लेता है कि वह समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। महाविद्यालय में NSS की दो इकाइयॉ संचालित हैं। NSS के स्वयंसेवक बनकर आप न केवल राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे, अपितु भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित होकर “NOT ME BUT YOU" तथा "EDUCATION THROUGH SERVICE" के सिद्धान्तों को साकार कर पाएंगे।

रोवर/रेंजर

महाविद्यालय में विद्यार्थी को अपने कौशल का विकास करने के लिए एक और मंच प्रदान किया गया है। यह है – छात्रों के लिए रोवर एवं छात्राओं के लिए रेंजर। इस मंच के माध्यम से भी विद्यार्थी पर्वतारोहण, शिलारोहण, दीवाररोहण, तैराकी, इत्यादि गतितिधियों के द्वारा शारीरिक तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों गतिविधियों से बौद्धिक विकास कर सकता है। इस मंच के माध्यम से विद्यार्थियों में मानवीय संवेदनाओं का संचार कर उन्हें स्वावलम्बन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, इत्यादि का पाठ पढाया जाता है। इसके माध्यम से स्वयंसेवी को प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा का अवसर प्राप्त होता है।

युवा विकास केन्द्र

राज्य सरकार ने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को राजगारोन्मुखी कौशल अभिवृद्धि, व्यक्तित्व विकास, स्वयं के रूचि के व्यवसाय खोजने व सामाजिक कार्यों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु युवा विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अन्तर्गत वर्ष भर विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सेमीनार का आयोजन किया जाता है जो कि विषयपरक वार्ता कर छात्र–छात्राओं की समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साथ ही छात्र–छात्राओं को इस हेतु साहित्य भी प्रदान किया जाता हे जिससे कि विद्यार्थी रोजगारपरक जानकारी प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक सत्र में 20 विभिन्न विषयों यथा रोजगार की तलाश कैसे की जाए, बायो–डाटा कैसे लिखा जाए, समय प्रबन्धन, तनाव प्रबन्धन, क्रोध प्रबन्धन, दूरभाष पर शिष्टाचार वार्ता, स्वास्थ्य सुधार व जागरूकता आदि पर व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं।

मानवाधिकार क्लब

वर्तमान समय में सभी देशों में एवं सभी क्षेत्रों में मानवाधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन एक ज्वलंत विषय के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार एवं आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के दिशानिर्देशानुसार महाविद्यालय में भी मानवाधिकार क्लब का गठन किया गया है। इसमें विद्यार्थियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से वार्ताओं, संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन किया जाता है।

महिला प्रकोष्ठ

भारतीय संविधान नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामाजिक–राजनीतिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। परन्तु भारतीय समाज सदियों से पुरूष प्रधान रहा है। पुरूष प्रभुत्व वाली मानसिकता में परिवर्तन आसानी से सम्भव नहीं है।

राज्य सरकार ने महिलाओं में आत्मविश्वास था लिंगभेद रहित समाज के विकास के उद्देश्य से महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके लिए प्रत्येक छात्रा से शुल्क लिया जाता है। इस प्रकोष्ठ के माध्यम से सत्रपर्यन्त महिला व्यक्तित्व विकास से सम्बन्धित सेमीनार, गोष्ठियॉ, व्याख्यान आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। महाविद्यालय की अपेक्षा है कि छात्राएं इस प्रकोष्ठ की गतिविधियों में अधिकाधिक सहभागिता कर अपने व्यक्तित्व का विकास करें।

3. छात्र परामर्श केन्द्र

महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं को उनकी रूचि के अनुसार व्यवसाय व नौकरी में समायोजित करने हेतु छात्र परामर्श केन्द्र की सुविधा भी उपलब्ध है। इस केन्द्र के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं तथा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी से अवगत कराया जाता है। साथ ही विभिन्न उद्यमियों, बीमा कम्पनियों, बैंक व प्रतिष्ठान तथा रोजगार कार्यालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने में परामर्श प्रदान किया जाता है।

4. खेलकूद

सार्वभौमिक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। महाविद्यालय स्तर पर बौद्धिक व मानसिक कौशल को पूर्णता प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को समर्पित विभिन्न खेलकूद गतिविधियों की सुविधा उन्हें प्रदान की जाती है। यद्यपि महाविद्यालय शैशवावस्था में ही है और यहाँ संसाधन विकसित हो रहे हैं। फिर भी विभिन्न मैदानी एवं इंडोर खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबाल, एथलेटिक्स जैसी मैदानी खेल गतिविधियों के साथ–साथ बैडमिंटन, टेबल–टेनिस, शतरंज, कैरम इत्यादि इंडोर खेलों में सहभागिता कर सकते हैं। विभिन्न खेलों में अन्तर्दलीय स्पर्द्धाओं का आयोजन कर खेल प्रतिभाओं को स्वतंत्र सहभागिता का अवसर दिया जाता है।

विगत शैक्षणिक सत्रों में महाविद्यालय के खिलाडियों ने मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर की अन्तर्महाविद्यालय व अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता कर अनेक पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है।

5. संकाय परिषदें

यह महाविद्यालय बहुसंकायी है। यहाँ कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय संचालित हो रहे हैं। प्रत्येक संकाय के विद्यार्थी अपने–अपने क्षेत्र में भी सह–शैक्षणिक गतिविधियों में प्रतिभागी बनकर श्रेष्ठता अर्जित करें, इस उद्‌देश्य से संकाय परिषदों का गठन किया जाता है। संकायवार कला परिषद्, विज्ञान परिषद् एवं वाणिज्य परिषद् में संबंधित संकाय के विद्यार्थी सहभागिता कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं।

6. छात्रा परिषद्

हमारे समाज में विशेषतः राजस्थान में महिलाओं का उन्नयन अपेक्षानुसार नहीं हो रहा है। महिलाओं का भी पुरूषों के समान चहुँमुखी विकास हो इसलिए महाविद्यालय में केवल छात्राओं की विशिष्ट परिषद् की व्यवस्था की गई है। इसके पदाधिकारी तथा गतिविधियों की प्रतिभागी केवल छात्राएं ही होती हैं।

7. छात्रसंघ

राज्य सरकार ने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय में ''छात्रसंघ'' की पुनर्स्थापना की है। हमारे महाविद्यालय में भी इसकी अनुपालना में ''छात्रसंघ'' की व्यवस्था है। इसके चार पदाधिकारी – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव को विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। महाविद्यालय में छात्रसंघ का एक संविधान है जिसमें इसके उद्‌देश्यों एवं कार्यप्रणाली का वर्णन है।

महाविद्यालय में छात्रसंघ का निर्वाचन उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार तथा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान के आदेशों के अनुसार लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप कराए जाते हैं। आपसे अपेक्षा है कि छात्रसंघ के माध्यम से आप न केवल लोकतंत्रीय प्रक्रिया से परिचित हों, अपितु इसके तत्वावधान में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अपनं व्यक्तित्व का विकास करें।

8. महाविद्यालय प्रकाशन

महाविद्यालय में पत्रिका ''वैचारिकी'' का प्रकाशन किया जाता है। इसमें महाविद्यालय में वर्षपर्यन्त आयोजित गतिविधियों, आयोजनों, उपलब्धियों का समावेश तो होता ही है, साथ ही महाविद्यालय के विद्यार्थी इसमें अपनी स्वरचित कविता, आलेख अन्य समाजोपयोगी रचनाएं देकर बौद्धिक विकास भी कर सकते हैं। विगत वर्ष से त्रैमासिक ई–पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

9. पूर्व छात्र परिषद्

महाविद्यालय के पूर्व छात्रों की यह एक संस्था है। इसकी भूमिका महाविद्यालय के विकास में अपनी–अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देना है। परिषद् का विधिवत पंजीकरण कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

10. अभिभावक–अध्यापक परिषद्

महाविद्यालय विकास में अभिभावकों की रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित करने, महाविद्यालय क्रियाकलापों को अधिक पारदर्शी एवं समाजोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से अभिभावक–अध्यापक परिषद् का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान कम से कम 3–4 बैठकें आयोजित कर उनके अनुसार सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

11. शोध परिषद्

महाविद्यालय में शोध वातावरण को उन्नत करने एवं संकाय सदस्यों को अधिकाधिक शोध परियोजनाएं संचालित करने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से शोध परिषद का गठन किया गया है। सभी संकायों के अधिष्ठाता इसके पदेन सदस्य हैं। यह परिषद शोध प्रस्तावों का अनुमोदन करने के साथ–साथ संकाय सदस्यों को अपने–अपने विषय में सेमीनार/वर्कशॉप इत्यादि आयोजित करने हेतु भी प्रोत्साहित करेगी।

12. अन्य सुविधाएं

1. **गर्ल्स कॉमन रूम :** यह संस्था एक सह–शिक्षा महाविद्यालय है। छात्राओं को असुविधा न हो इसलिए गर्ल्स कॉमन रूम तथा पृथक प्रसाधन की सुविधा प्रदान की गई है। छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे रिक्त कालांश में व्यर्थ ही इधर–उधर ना घूमकर या तो पुस्तकालय या गर्ल्स कॉमन रूम में बैठकर समय का सदुपयोग करें।
2. **वाहन पार्किंग :** इस शैक्षणिक सत्र में वाहनों की सुरक्षित पार्किंग के लिए मुख्य द्वार के समीप एक और वाहन स्टेण्ड का निर्माण कराया गया है। विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अपने वाहन निर्धारित स्टेण्ड पर ही खडा करें, अन्यत्र नहीं। स्टेण्ड पर वे ही विद्यार्थी वाहन खडा कर सकेंगे जो निर्धारित शुल्क जमा कराएंगे। अन्य कोई वाहन खडा करेगा तो उससे नियमानुसार दण्डात्मक शुल्क लिया जाएगा।
3. **सेमीनार कक्ष :** महाविद्यालय में सत्रपर्यन्त होने वाली गतिविधियों– सेमीनार, संगोष्ठियों, विशेष व्याख्यान आदि के आयोजन के लिए आदर्श दशाओं के साथ सेमीनार कक्ष उपलब्ध है।

4. **रेल एवं रोडवेजेज कन्सेशन :** महाविद्यालय के विद्यार्थियों को अपने स्थायी निवास पर दीपावली/ शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश में आने–जाने के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है जिनका स्थायी निवास शिवगंज से बाहर का है। अतः प्रवेशार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रवेश आवेदन पत्र में अपने स्थायी निवास का पता अवश्य लिखे।

   अपने निवास पर जाने के अलावा महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक भ्रमण तथा मान्यता प्राप्त खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर भी यह सुविधा उपलब्ध है।

पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध स्थान

महाविद्यालय में अकादमिक सत्र 2018–19 में मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर के पाठ्यक्रमानुसार निम्नांकित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं :

1. स्नातकोत्तर (एम. एस.सी.) – रसायन शास्त्र
2. स्नातकोत्तर (एम. कॉम.) – ए. बी. एस. टी.
3. स्नातकोत्तर (एम. ए.) – इतिहास एवं हिन्दी
4. त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम – विज्ञान संकाय
5. त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम – वाणिज्य संकाय
6. त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम – कला संकाय

इन पाठ्यक्रमों में संकायवार प्रथम वर्ष में प्रवेश क्षमता का विवरण निम्नानुसार रहेगा :

क्रम सख्या	कक्षा	कुल उपलब्ध स्थान
1.	एम. एस.सी. (रसायन शास्त्र)	30
2.	एम. कॉम. (ए. बी. एस. टी.)	60
3.	एम. ए. (इतिहास)	60
4.	एम. ए. (हिन्दी)	60

क्रम सख्या	कक्षा	कुल उपलब्ध स्थान
1.	बी. एस.सी. प्रथम वर्ष (जीव विज्ञान)	88
2.	बी. एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित)	88
3.	बी. कॉम प्रथम वर्ष	200
4.	बी, ए. प्रथम वर्ष	400

नोट : आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा।

1. **त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम विज्ञान संकाय**

(क) प्रथम वर्ष विज्ञान

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य अंग्रेजी   2. पर्यावरणीय अध्ययन

वैकल्पिक विषय :

गणित वर्ग – 1. भौतिक शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. गणित

जीव विज्ञान वर्ग – 1. प्राणी शास्त्र 2. रसायन शास्त्र 3. वनस्पति शास्त्र

(ख) द्वितीय वर्ष विज्ञान

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य हिन्दी   2. प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग

वैकल्पिक विषय : द्वितीय वर्ष विज्ञान के अभ्यर्थियों को वे ही वैकल्पिक विषय लेने होंगे, जिनके साथ वे प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं।

(ग) तृतीय वर्ष विज्ञान

वैकल्पिक विषय : तृतीय वर्ष विज्ञान के अभ्यर्थियों को वे ही वैकल्पिक विषय लेने होंगे, जिनके साथ वे प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं।

2. **त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम वाणिज्य संकाय**

(क) प्रथम वर्ष वाणिज्य

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य अंग्रेजी   2. पर्यावरणीय अध्ययन

वैकल्पिक विषय :

1. लेखा एवं सांख्यिकी   2. व्यावसायिक प्रशासन   3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

(ख) द्वितीय वर्ष वाणिज्य

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य हिन्दी   2. प्रारंभिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग

वैकल्पिक विषय :

1. लेखा एवं सांख्यिकी   2. व्यावसायिक प्रशासन   3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

(ग) तृतीय वर्ष वाणिज्य

वैकल्पिक विषय :

1. लेखा एवं सांख्यिकी   2. व्यावसायिक प्रशासन   3. आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

3. **त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम कला संकाय**

(क) प्रथम वर्ष कला

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य अंग्रेजी   2. पर्यावरणीय अध्ययन

वैकल्पिक विषय :

1. राजनीति विज्ञान   2. इतिहास   3. हिन्दी साहित्य   4. भूगोल

5. संगीत   6. गृह विज्ञान   7. ड्राइंग एण्ड पेंटिंग

[बिन्दू संख्या 5, 6 और 7 में अंकित विषय इस वर्ष की बजट घोषणा के भाग हैं। इनकी प्रशासकीय स्वीकृति आने पर ही विषय चयन का विकल्प दिया जाएगा।]

(प्रवेशार्थी उपर्युक्त में से कोई भी तीन विषय चुनकर आवेदन करे। सामान्यतः एक बार विषय चयन के बाद परिवर्तन सम्भव नहीं हो सकेगा।

(ख) द्वितीय वर्ष कला

अनिवार्य विषय :

1. सामान्य अंग्रेजी   2. पर्यावरणीय अध्ययन

वैकल्पिक विषय : वे विषय, जिनके साथ अभ्यर्थी प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं।

(ग) तृतीय वर्ष कला

वैकल्पिक विषय : वे विषय, जिनके साथ अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य : डॉ. एन. एस. देवडा (कार्यवाहक)

संकाय सदस्य

विभाग का नाम	संकाय सदस्य का नाम
राजनीति शास्त्र	1. श्री सुनील वर्मा 2. श्री ब्रजमोहन यादव (कार्यव्यवस्थार्थ विराटनगर)
इतिहास	1. डॉ. परिहार उर्मिला 2. रिक्त
हिन्दी साहित्य	1. श्रीमती एकता देवी 2. रिक्त
भूगोल	1. श्रीमती रेखा बिश्नोई
अंग्रेजी	1. रिक्त
व्यावसायिक प्रशासन	1. डॉ. भूपेश डी. वर्मा
लेखा एवं सांख्यिकी	1. श्री पीयूष अग्रवाल (कार्यव्यवस्थार्थ बांसवाडा)
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध	1. श्री अजय कुमार
गणित	1. डॉ. पुरूषोत्तम सिंह
रसायन शास्त्र	1. डॉ. रवि शर्मा 2. डॉ. बेगराज कुमावत 3. श्री राहुल कुमार मुनीम (कार्यव्यवस्थार्थ डूंगरपुर)
भौतिक शास्त्र	1. सुश्री दीक्षा मीणा 2. रिक्त
वनस्पति शास्त्र	1. डॉ. एन. एस. देवडा 2. श्री दानाराम
प्राणी शास्त्र	1. श्रीमती दीपिका वैष्णव 2. रिक्त
पुस्तकालयाध्यक्ष	1. रिक्त
निदेशक शारीरिक शिक्षा	1. रिक्त

अशैक्षणिक स्टॉफ

वर्ग	स्टॉफ सदस्य का नाम
सहायक लेखाधिकारी	1. रिक्त
कार्यालय सहायक	1. रिक्त
प्रयोगशाला सहायक	1. श्री कान्तिलाल शर्मा 2. रिक्त 3. रिक्त 4. रिक्त
वरिष्ठ लिपिक	1. श्रीमती विष्णुकान्ता दवे
कनिष्ट लिपिक	1. रिक्त
प्रयोगशाला सेवक	1. श्री गणपत सिंह 2. रिक्त
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1. श्री शिवलाल देवासी 2. श्री शंकरलाल सोनल 3. रिक्त 4. रिक्त
बुक लिफ्टर	1. श्री मॉगीलाल मीणा (विरूद्ध)